FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

अशोक वगै0 बनाम इमरती वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 246 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/416

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06-06-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री मनीराम जाखड़ एड. उपस्थित। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकिल प्रार्थीगण ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी तारिख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1018, 1234/1019, 1235/1019, 1230/1016, 1231/1013 राजस्व ग्राम दयाल की नांगल पटवार हल्का दयाल की नांगल तहसील नीमकाथाना का राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.07.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/9/25
को पेश हों।

17/9/25

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित है।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/9/25
को पेश हों।

29/9/25

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/11/25
को पेश हों।

27/11/25

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित है।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/2/26
को पेश हों।

आदेश

02/12/2025

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र टी० आई० विद्रा वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र मिसल तलबी पेश करने पर करने हेतु प्रा०पत्र मिसल तलबी पेशी से पूर्व आज तलब की पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की पत्रावली नियत तारीख में प्रा०पत्र बाबत विद्रा किये गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान जाने प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। जिस कारण से प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अत: प्रा०पत्र टी० आई० विद्रा फरमाने की कृपा करें। वकील प्रार्थीगण का प्रा०पत्र बाबत विद्रा किये जाने प्रा०पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजवीर सिंह
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी